निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 जयेष्ठ 1937 (श0)

संख्या 21 पटना, बुधवार, ——————

27 मई 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-16
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	
पूरक	---
पूरक-क	17-29

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
15 मई 2015

सं0 6/गो0–34–2/2001– **2125** /वा0कर0– श्री बलराम दूबे, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायधीश, मधुबनी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षो के लिए अथवा उनकी पैतृक सेवा में वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि (जो पहले हो) तक के लिए होगी।

2. श्री दूबे को अध्यक्ष, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्ति की अवधि में उन्हें अपने पैतृक सम्वर्ग कोटि के वेतनमान् में वेतन देय होगा।

3. श्री दूबे को न्यायिक सेवा के पदाधिकारी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा न्यायिक पदाधिकारी को देय है, वहीं सुविधा इन्हें भी अनुमान्य होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव ।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं
19 मार्च 2015

सं० 93 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ–4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ, निष्पादन मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट–2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा–19 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ–5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ–5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ–5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
1.	श्री सुनील कुमार मिश्रा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, अररिया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) अररिया स) अररिया	श्री प्रकाश पासवान के स्थान पर	अ) **अररिया** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **अररिया** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
2.	श्री सत्य प्रकाश मौर्य, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, बांका।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बांका स) बांका	श्री अशोक कुमार गुप्ता III के स्थान पर	अ) **बांका** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **बांका** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
3.	श्री देवानन्द मिश्रा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, झंझारपुर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) झंझारपुर स) मधुबनी	श्री विकास सिंह के स्थान पर	अ) **झंझारपुर** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **झंझारपुर** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
4.	श्री संजय कुमार सिंह II, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, डेहरी।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) डेहरी स) रोहतास	श्री प्रणव शंकर के स्थान पर	अ) **डेहरी** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **डेहरी** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
5.	श्री अविनाश शर्मा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, बिहारशरीफ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बिहारशरीफ स) नालन्दा	श्री आशुतोष कुमार II के स्थान पर	अ) **बिहारशरीफ** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **बिहारशरीफ** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
6.	श्रीमाती रचना श्रीवास्तव, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, मुंगेर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) मुंगेर स) मुंगेर	श्री जीवन लाल के स्थान पर	अ) **मुंगेर** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **मुंगेर** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
7.	श्री संजय प्रिय , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, दाऊदनगर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) दाऊदनगर स) औरंगाबाद	श्री निशिकान्त ठाकुर के स्थान पर	अ) **दाऊदनगर** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **दाऊदनगर** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
8.	श्री अवदेश कुमार , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, सहरसा।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) सहरसा स) सहरसा	श्री भूपेंद्र सिंह के स्थान पर	अ) **सहरसा** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **सहरसा** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
9.	श्री सय्यद कामरल हसन रिजवी, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, गया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) गया स) गया	श्री रवीन्द्र कुमार के स्थान पर	अ) **गया** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **गया** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
10.	श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, गोपालगंज।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) गोपालगंज स) गोपालगंज	श्री उमेश मणि त्रिपाठी के स्थान पर	अ) **गोपालगंज** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **गोपालगंज** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
11.	श्री सुनील कुमार चौबे, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, बक्सर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बक्सर स) बक्सर	श्री सुनील कुमार II के स्थान पर	अ) **बक्सर** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **बक्सर** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
12.	श्री आशुतोष कुमार II, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, बाढ़।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बाढ़ स) पटना	श्री सकल देव राय के स्थान पर	अ) **बाढ़** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **बाढ़** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
13.	श्री नमिता सिंह , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ,जहानाबाद ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) जहानाबाद	श्री विद्या प्रसाद के स्थान पर	अ) **जहानाबाद** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
		स) जहानाबाद		ब) **जहानाबाद** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
14.	श्री राजीव कुमार मिश्रा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) कटिहार स) कटिहार	श्री अक्षय कुमार सिंह के स्थान पर	अ) **कटिहार** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **कटिहार** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
15.	श्री उमेश कुमार पाण्डेय, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, जमुई।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) जमुई स) जमुई	श्री राज कुमार चौधरी के स्थान पर	अ) **जमुई** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **जमुई** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
16.	श्री अतुल कुमार सिंह, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) समस्तीपुर स) समस्तीपुर	श्री आनंद कुमार सिंह । के स्थान पर	अ) **समस्तीपुर** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **समस्तीपुर** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
17.	श्रीमति दिव्या वशीष्ठ, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ,मुजफ्फरपुर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) मुजफ्फरपुर स) मुजफ्फरपुर	श्रीमति अंजु सिंह के स्थान पर	अ) **मुजफ्फरपुर** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **मुजफ्फरपुर** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
18.	श्री सुनील दत्त, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) सिवान स) सिवान	श्री कमलेश चन्द्र मिश्रा के स्थान पर	अ) **सिवान** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) **सिवान** मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
19.	श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तवा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, सुपौल ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) सुपौल	श्री **शैलेंद्र कुमार शर्मा** के स्थान पर	अ) **सुपौल** मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
		स) सुपौल		ब) सुपौल मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
20.	श्री वेद प्रकाश मोदी , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, पटना सिटी ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) पटना सिटी स) पटना	श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय के स्थान पर	अ) पटना सिटी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) पटना सिटी मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
21.	श्री राजीव रंजन सहाय, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बेतिया स) पश्चमी चम्पारण	श्री राजीव कुमार III के स्थान पर	अ) बेतिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) बेतिया मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
22.	श्री रघुबंश नारायण, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ,लखीसराय ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) लखीसराय स) लखीसराय	श्री राजीव नयन के स्थान पर	अ) लखीसराय मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) लखीसराय मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
23.	श्री अजय कुमार I, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, बिरौल एट बेनीपुर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बिरौल एट बेनीपुर स) दरभंगा	श्री अभिजीत कुमार के स्थान पर	अ) बिरौल एट बेनीपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) बिरौल एट बेनीपुर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
24.	श्री संजीव कुमार चंद्रीयवी, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, गया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) गया स) गया	श्री संजीव कुमार पाण्डेय के स्थान पर	अ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) गया मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
25.	श्री रजनीश रंजन, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ,दरभंगा ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) दरभंगा स) दरभंगा	श्री राकेश कुमार II के स्थान पर	अ) दरभंगा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) दरभंगा मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
26.	श्री जितेंद्र कुमार, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, हिलसा ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) हिलसा स) नालन्दा	श्री इंद्रजीत सिंह के स्थान पर	अ) हिलसा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) हिलसा मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
27.	श्री प्रवीण कुमार सिंह, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, मोतीहारी।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) मोतीहारी स) पूर्वी चम्पारण	श्री सुरेन्द्र प्रसाद के स्थान पर	अ) मोतीहारी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) मोतीहारी मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
28.	श्री प्रबल दत्त , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, किशनगंज ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) किशनगंज स) पूर्णिया	श्री पुष्पम कुमार झा के स्थान पर	अ) किशनगंज मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) किशनगंज मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
29.	श्री संजीव कुमार पाण्डेय, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, भागलपुर ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) भागलपुर स) भागलपुर	श्री प्रेम चन्द्र वर्मा के स्थान पर	अ) भागलपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) भागलपुर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
30.	श्री सुभाष चन्द्र, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, शिवहर ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) शिवहर स) शिवहर	श्री शिव कुमार के स्थान पर	अ) शिवहर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) शिवहर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
31.	श्री प्रशांत कुमार झा , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, सितामढ़ी।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) सितामढ़ी स) सितामढ़ी	श्री एमडी॰ रुस्तम के स्थान पर	अ) सितामढ़ी मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) सितामढ़ी मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
32.	श्री अशोक कुमार II, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, उदा-किशुंगंज।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) उदा-किशुंगंज स) मधेपुरा	श्री नितीश कुमार के स्थान पर	अ) उदा-किशुंगंज मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) उदा-किशुंगंज मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
33.	श्री राजेश कुमार द्वेदी, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, बेगूसराय ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) बेगूसराय स) बेगूसराय	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के स्थान पर	अ) बेगूसराय मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) बेगूसराय मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
34.	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, सासाराम ।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) सासाराम स) सासाराम	श्री सूर्य कान्त तिवारी के स्थान पर	अ) सासाराम मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) सासाराम मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
35.	श्रीमति प्रतिभा , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, आरा	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) आरा स) भोजपुर	श्री शैलेंद्र कुमार के स्थान पर	अ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) आरा मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
36.	श्री मिथिलेश कुमार , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, आरा	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) आरा स) भोजपुर	श्री गौरव कमल के स्थान पर	अ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) आरा मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	स्थानांतरण की श्रृंखला	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4	5
37.	श्री सत्य प्रिय आनंद , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, पटना	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) पटना स) पटना	श्री जावेद अहमद खान के स्थान पर	अ) पटना मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) पटना मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
38.	श्रीमति अनुपम कुमारी, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ-सह - न्यायिक दंडाधिकारी, सी॰बी॰आइ॰, पटना	अ) निष्पादन मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) मुजफ्फरपुर स) मुजफ्फरपुर	श्री रजनी कुमारी के स्थान पर	अ) मुजफ्फरपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) मुजफ्फरपुर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
39.	श्रीमति कुमारी विजया , प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, गया ।	अ) निष्पादन मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) गया स) गया	श्री शुभ नन्दन झा के स्थान पर	अ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) गया मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
40.	श्री ज्योति प्रकाश, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, पटना ।	अ) निष्पादन मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) पटना स) पटना	श्री रामेश्वर मिश्रा के स्थान पर	अ) पटना मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) पटना मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
41.	श्री अशोक कुमार मांझी, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर मुंसिफ, आरा।	अ) निष्पादन मुंसिफ (असैनिक न्यायधीश, कनीय कोटि) ब) आरा स) भोजपुर	श्री अरविंद के स्थान पर	अ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) आरा मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, **महानिबंधक।**

19 March 2015

No. 93 A— The judicial officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3, and in the chain indicated in column no. 4 of the table.

As mentioned in column no. 5, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 5, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officer concerned unless they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	**Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship**	**a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.**	**Chain of Transfer**	**Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Sri Sunil Kumar Mishra, J.M. I-cum-A.M., Araria.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Araria c) Araria	Vice Sri Prakash Paswan Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Araria Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Araria Munsifi.
2	Sri Satya Prakash Maurya, J.M. I-cum-A.M., Banka.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Banka c) Banka	Vice Sri Ashok Kumar Gupta III Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Banka Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Banka Munsifi.
3	Sri Devanand Mishra J.M. I-cum-A.M., Jhanjharpur.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Jhanjharpur c) Madhubani	Vice Sri Vikash Singh Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Jhanjharpur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Jhanjharpur Munsifi.
4	Sri Sanjay Kumar Singh II, J.M. I-cum-A.M., Dehri.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Dehri c) Rohtas	Vice Sri Pranaw Shankar Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Dehri Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Dehri Munsifi.
5	Sri Avinash Sharma, J.M. I-cum-A.M., Biharsharif.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Biharsharif. c) Nalanda	Vice Sri Ashutosh Kumar II Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Biharsharif Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Biharsharif Munsifi.
6	Ms. Rachana Srivastava, J.M. I-cum-A.M., Munger.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Munger c) Munger	Vice Sri Jeevan lal Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Munger Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Munger Munsifi.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of Transfer	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1	2	3	4	5
7	Sri Sanjay Priya, J.M. I-cum-A.M., Daudnagar.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Daudnagar c) Aurangabad	Vice Sri Nishi Kant Thakur Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Daudnagar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Daudnagar Munsifi.
8	Sri Awdesh Kumar, J.M. I-cum-A.M., Saharsa.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Saharsa c) Saharsa	Vice Sri Bhupendra Singh Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Saharsa Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Saharsa Munsifi.
9	Sri Syed Qamrul Hassan Rizwi, J.M. I-cum-A.M., Gaya.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Gaya c) Gaya	Vice Sri Ravindra Kumar Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Gaya Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Gaya Munsifi.
10	Sri Rajendra Kumar Pandey, J.M. I-cum-A.M., Gopalganj.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Gopalganj c) Gopalganj	Vice Sri Umesh Mani Tripathi Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Gopalganj Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Gopalganj Munsifi.
11	Sri Sunil Kumar Choubey, J.M. I-cum-A.M., Buxar.	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Buxar c) Buxar	Vice Sri Sunil Kumar II Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Buxar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Buxar Munsifi.
12	Sri Ashutosh Kumar III, J.M. I-cum-A.M., Barh	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Barh c) Patna	Vice Sri Sakal Deo Roy Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Barh Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Barh Munsifi.
13	Ms. Namita Singh J.M. I-cum-A.M., Jehanabad	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Jehanabad c) Jehanabad	Vice Sri Vidya Prasad Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Jehanabad Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Jehanabad Munsifi.
14	Sri Rajeev Kumar Mihsra J.M. I, Katihar	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Katihar c) Katihar	Vice Sri Akshay Kumar Singh Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Katihar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Katihar Munsifi.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of Transfer	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1	2	3	4	5
15	Sri Umesh Kumar Pandey, J.M. I-cum-A.M., Jamui	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Jamui c) Jamui	Vice Sri Raj Kumar Choudhary Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Jamui Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Jamui Munsifi.
16	Sri Atul Kumar Singh, J.M. I, Samastipur	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Samastipur c) Samastipur	Vice Sri Anand Kumar Singh I Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Samastipur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Samastipur Munsifi.
17	Ms. Divya Vasishtha J.M. I-cum-A.M., Muzaffarpur	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Muzaffarpur c) Muzaffarpur	Vice Ms. Anju Singh Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Muzaffarpur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Muzaffarpur Munsifi.
18	Sri Sunil Datta J.M. I, Siwan	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Siwan c) Siwan	Vice Sri Kamlesh Chandra Mishra Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Siwan Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Siwan Munsifi.
19	Sri Sharad Chandra Srivastava J.M. I-cum-A.M., Supaul	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Supaul c) Supaul	Vice Sri Shailendra Kumar Sharma Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Supaul Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Supaul Munsifi.
20	Sri Ved Prakash Modi, J.M. I-cum-A.M., Patna City	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Patna City c) Patna	Vice Sri Ashutosh Kumar Upadhayay Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Patna City Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Patna City Munsifi.
21	Sri Rajiv Ranjan Sahay, J.M. I, Bettiah	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Bettiah c) West Champaran	Vice Sri Rajiv Kumar III Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Bettiah Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Bettiah Munsifi.
22	Sri Raghubansh Narayan J.M. I-cum-A.M., Lakhisarai	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Lakhisarai c) Lakhisarai	Vice Sri Rajeev Nayan Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Lakhisarai Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Lakhisarai Munsifi.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of Transfer	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1	2	3	4	5
23	Sri Ajay Kumar I J.M. I-cum-A.M., Biraul at Benipur	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Biraul at Benipur c) Darbhanga	Vice Sri Abhijit Kumar Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Biraul at Benipur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Biraul at Benipur Munsifi.
24	Sir Sanjeev kumar Chandriyavi J.M. I-cum-A.M., Gaya	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Gaya c) Gaya	Vice Sri Sanjeev Kumar Pandey Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Gaya Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Gaya Munsifi.
25	Sri Rajnish Ranjan J.M. I-cum-A.M., Darbhanga	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Darbhanga c) Darbhanga	Vice Sri Rakesh Kumar II Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Darbhanga Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Darbhanga Munsifi.
26	Sri Jitendra Kumar I J.M. I-cum-A.M., Hilsa	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Hilsa c) Nalanda	Vice Sri Indrajit Singh Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Hilsa Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Hilsa Munsifi.
27	Sri Praveen Kumar Singh J.M. I-cum-A.M., Motihari	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Motihari c) East Champaran	Vice Sri Surendra Prasad Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Motihari Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Motihari Munsifi.
28	Ms. Prabal Dutta J.M. I-cum-A.M., Kishanganj	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Kishanganj c) Purnea	Vice Sri Pushpam Kumar Jha Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Kishanganj Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Kishanganj Munsifi.
29	Sri Sanjeev kumar Pandey, J.M. I-cum-A.M., Bhagalpur	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Bhagalpur c) Bhagalpur	Vice Sri Prem Chandra Verma Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Bhagalpur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Bhagalpur Munsifi.
30	Sri Subhash Chandra J.M. I-cum-A.M., Sheohar	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sheohar c) Sheohar	Vice Sri Shiv Kumar Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sheohar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sheohar Munsifi.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of Transfer	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1	2	3	4	5
31	Sri Prashant Kumar Jha, J.M. I, Sitamarhi	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sitamarhi c) Sitamarhi	Vice Sri Md Rustam Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sitamarhi Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sitamarhi Munsifi.
32	Sri Ashok Kumar II J.M. I, Uda-kishungaj	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Uda-kishunganj c) Madhepura	Vice Sri Nitish Kumar Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Uda-kishunganj Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Uda-Kishunganj Munsifi.
33	Sri Rajesh kuamr Dwivedi, J.M. I-cum-A.M., Begusarai	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Begusarai c) Begusarai	Vice Sri Suvash Chandra Sharma Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Begusarai Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Begusarai Munsifi.
34	Sri Prabhat Kumar Srivastava, J.M. I-cum-A.M., Sasaram	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sasaram c) Sasaram	Vice Sri Surya Kant Tiwary Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sasaram Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sasaram Munsifi.
35	Ms. Pratibha, J.M. I-cum-A.M., Ara	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Ara c) Bhojpur	Vice Sri Shailendra Kumar Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.
36	Sir Mithilesh kumar, J.M. I-cum-A.M., Ara	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Ara c) Bhojpur	Vice Sri Gaurav Kamal Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.
37	Sir Satya Priya Anand, J.M. I-cum-A.M., Patna	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Patna c) Patna	Vice Sri Javed Ahmad Khan Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.
38	Ms Anupam Kumari, J.M. I-cum-A.M, CBI, Patna	a) Execution Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Muzaffaupur c) Muzaffarpur	Vice Ms. Rajani Kumari, Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Chain of Transfer	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1	2	3	4	5
39	Ms. Kumari Vijaya, J.M. I-cum-A.M, Gaya	a) Execution Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Gaya c) Gaya	Vice Sir Subh Nandan Jha Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.
40	Sri Jyoti Parkash, J.M. I-cum-A.M., Patna	a) Execution Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Patna c) Patna	Vice Sri Rameshwar Mishra Since transferred	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.
41	Sri Ashok Kumar Manjhi J.M. I-cum-A.M., Ara	a) Execution Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Ara c) Bhojpur	Vice Sri Arvind Since transferred	c) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. d) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.

By Order of the High Court,
VINOD KUMAR SINHA, *Registrar General.*

सं०एम–4–01 / 2015–641 / वि०

वित्त विभाग

संकल्प

19 जनवरी 2015

बिहार राज्य में कम्प्यूटरीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन अनुश्रवण तथा मानक गुणवत्ता के हाईवेयर एवं अन्य सेवाओं की प्राप्ति के उद्देश्य से National Informatics Centre Service Incorporated (NICSI), नई दिल्ली, जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, को Procurement of Hardware & Software, Date Centre Service, Networking & Integration, Consulting Service, Web Services, Technical Manpower Support Services, Rollout & Deployment Services. Managed Services, pre-project Consultancy आदि सेवाओं की आपूर्त्ति हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अंतर्गत राज्य क्रय संगठन नामित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

22 जनवरी 2015

सं०/01स्था०(ले०से०)–39/2014–782वि०–बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 234 एवं 248 (क) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर सिंह (बि०ले०से०), वरीय कोषागार पदाधिकारी, अवरल द्वारा स्वयं की चिकित्सा के निमित दिनांक 01.04.14 से 15.10.14 तक उपभोग किए गए 198 दिनों के अवकाश को निम्न रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(i) 01.04.14 से 25.07.14 तक 116 दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में ।

(ii) दिनांक 26.07.14 से 15.10.14 तक 164 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य 82 दिनों के रूपांतरित अवकाश के रूप में ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

24 नवम्बर 2014

सं0 निग/सारा–6 (यांत्रिक) आरोप–27/2011–11207 (एस)–श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में श्री सिंह के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, विभाग को गलत सूचना, धोखा देने का प्रयास तथा दबाव बनाकर दैनिक श्रमिकों की गलत स्वीकृति प्राप्त कर सरकारी निधि के गबन आदि के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1465 (एस) अनु0 दिनांक 07.02.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता (यां0), उत्तर बिहार उपभाग–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–932 अनु0 दिनांक 22.04.13 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी द्वारा दबाव बनाकर दैनिक सन्नावाली मजदूरों की गलत स्वीकृति प्राप्त कर सरकारी निधि के गबन के प्रयास के साथ–साथ दिये गये दायित्व निर्वहन में कोताही बरतने के कृत्य के लिए दोषी पाया गया। आरोप के प्रमाणित प्रतिवेदित होने के उपरांत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–3565 (एस) अनु0 दिनांक 15.05.13 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री सिंह द्वारा पत्रांक–294 दिनांक 12.06.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। समर्पित उत्तर के समीक्षोपरांत आरोप को सत्य एवं सम्यक् होने के उपरांत सरकार द्वारा "स्थायी रूप से कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत करने" के दंड पर निर्णय लिया गया।

4. निर्णित दंड पर विभागीय पत्रांक–1945 (एस) अनु0 दिनांक 04.03.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–609 दिनांक 10.06.14 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त किया गया।

5. अतएव पूरे मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–8175 (एस) दिनांक 27.08.2014 द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा को "स्थायी रूप से कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत करने का दंड" दिया गया।

6. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह कार्यपालक अभियंता द्वारा पुनर्विचार आवेदन दिनांक 30.06.2014 समर्पित किया गया। श्री सिंह के उक्त पुनर्विचार आवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकरी का जाँच प्रतिवेदन श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत ही वृहद् दंड संसूचित किया गया है। पुनर्विचार आवेदन में उन्ही बातों की पुनरावृत्ति की गई है जो उनके द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अंकित है। इस बीच श्री सिंह द्वारा पुनर्विचार आवेदन

दिनांक 09.09.2014 समर्पित किया गया। यह आवेदन पूर्व के पुनर्विचार आवेदन की ही पुनरावृत्ति होने के आलोक में इस पर अलग से समीक्षा करना आवश्यक नही पाया गया। अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदन दिनांक 30.06.2014 एवं पुनर्विचार आवेदन दिनांक 09.09.2014 के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता हैः–

(i) दंड के विरूद्ध दिए गए पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–1 (NH)–47/2014–11957 (एस)–श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सिकन्दरा, पथ प्रमंडल, जमुई द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद के पदस्थापन काल के दौरान एन0एच0–98 के जसोईया मोड़ से दाउदनगर पथ में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा की गयी तथा पत्रांक–299 अनु0 दिनांक 22.12.10 द्वारा समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–136 अनु0 दिनांक 28.06.11 द्वारा समर्पित गुणवत्ता प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के 126 वें कि0मी0 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD प्रावधानित 2.30gm/cc के विरूद्ध 1.95gm/cc पाया गया। पथ के 126 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 21.23 प्रतिशत ओभर साईज पाया गया। BUSG कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 1.73 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है। पथ के 106 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 13.73 प्रतिशत ओभर साईज एवं 7.93 प्रतिशत अंडर साईज पाया गया है।

2. उपर्युक्त पायी गयी अनियमितता के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–4479 (ई) अनु0 दिनांक 28.08.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री कुमार के पत्रांक–112 अनु0 दिनांक 13.10.11 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा SDBC कार्य का औसत FDD प्रावधान से कम पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि एकरारनामा में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि Field Density क्या होना चाहिए तथा कार्य के दौरान मना करने पर भी नये सतह पर गाड़ियों के आवागमन के कारण FDD का औसत कम हो गया। BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओभर साईज पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मजदूरों द्वारा जानकारी के आभाव में कुछ Pots में ओभर साईज मेटेरियल द्वारा कार्य किया गया होगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य में स्टोन मेटल सधारणतः Hand Broken हीं होते हैं जिससे की ओभर साईज पत्थरों की संख्या कुछ अधिक हो जाती है, क्योंकि मजदूरों द्वारा Eye Estimation द्वारा पत्थर तोड़ा जाता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्य पूर्ण होने के छः माह बाद जाँच कराया गया। BUSG कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधान से कम पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यह आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। पथ के 106 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 13.73 प्रतिशत ओभर साईज एवं 7.93 प्रतिशत अन्डर साईज पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि 106 वें कि0मी0 इनके कार्यक्षेत्र में नहीं पड़ता है।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि SDBC कार्य का औसत FDD 2.16gm/cc तक पाये जाने पर टोलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मामले में SDBC कार्य का औसत FDD 1.95gm/cc है जो उक्त निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम है। इस कारण इस बिन्दु पर प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट के ग्रेडिंग में भिन्नता 7.50 प्रतिशत तक पाये जाने पर टोलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मामले में पायी गयी भिन्नता 12.13 प्रतिशत है जो उक्त निर्धारित टोलरेन्स से अधिक है। इस कारण इस बिन्दु पर प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण मान्य नहीं पाते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णय के आलोक में श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

14 नवम्बर 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–107/13–10863 (एस)–पथ प्रमंडल, किशनगंज अन्तर्गत अमौर–बहादुरगंज पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता की कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा से विभागीय पत्रांक–1236 (एस) अनु0 दिनांक 02.02.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री शर्मा, सहायक अभियंता के पत्रांक–11 दिनांक 21.01.14 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के कि0मी0 22 में कराये गये जी0एस0बी0 एवं डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–II तथा ग्रेड–III कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट की औसत मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से कम है। साथ हीं, उक्त कि0मी0 में कराये गये बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा भी अनुमान्य मान्यदंड से कम पाया गया।

3. अतएव सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित पाये गये उक्त त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–2114 (एस), दिनांक 10.03.14 द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी गयी।

4. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदन दिनांक 31.07.14 के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके पुनर्विचार आवेदन में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है, जिसके आधार पर इनके विरूद्ध संसूचित दंड के संबंध में पुनर्विचार किया जा सके। इन्होंने अपने कारण पृच्छा के दौरान जो बातें कही थी उसी की पुनरावृति अपने पुनर्विचार आवेदन में किया है। श्री शर्मा को तकनीकी समीक्षोपरांत ही एग्रीगेट एवं बिटुमिन की मात्रा निर्धारित Tolerance Limit से कम पाये जाने पर दंड संसूचित किया गया था।

5. अतएव सराकर के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा के पुनर्विचार आवेदन दिनांक 31.07.14 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

31 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–12947 (एस)–निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना नगर निगम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3057 (एस) दिनांक 16.04.13 द्वारा श्री सिन्हा से कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिन्हा से प्राप्त कारण पृच्छा पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा को सहायक अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या–4396 (एस) दिनांक 04.06.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4946 (एस) दिनांक 20.06.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–11798 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–11779 दिनांक 08.12.14 द्वारा श्री अनिल कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता के जीवन निर्वाह भत्ता में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10(1)(i) के तहत उनके जीवन निर्वाह भत्ता में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय संसूचित है, में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री अनिल कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता के जीवन निर्वाह भत्ता में सरकार के निर्णयानुसार 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

31 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–12945 (एस)–निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री अरविन्द प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3327 (एस) दिनांक 26.04.13 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अरविन्द प्रसाद को कार्यपालक

अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या–4394 (एस) दिनांक 04.06.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6064 (एस) दिनांक 26.07.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–11800 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–11801 दिनांक 08.12.14 द्वारा श्री अरविन्द प्रसाद, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10(1)(i) के तहत उनके जीवन निर्वाह भत्ता में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय संसूचित है, में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री अरविन्द प्रसाद, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में सरकार के निर्णयानुसार 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–1 (पथ) नि0वि0–27/07–11959 (एस)–श्री गोविन्द प्रसाद जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन, रोहतास सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, केन्द्रीय निरूपण अंचल, पटना के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच के आधार पर श्री जायसवाल के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–4821 (एस) अनु0 दिनांक 07.05.12 द्वारा कुल 7 (सात) आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1421 दिनांक 31.01.13 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री जायसवाल के विरूद्ध आरोप संख्या–2 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या–1,3,4,5,6 एवं 7 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप संख्या–2–"अकबरपुर–यदुनाथपुर पथांश (21–27) कि0मी0 के विशेष मरम्मति–सह–नवीकरण कार्य का एकरारनामा संख्या–1 एफ 2/2004–05 दिनांक 16.04.04 को किया गया एवं कार्य समाप्ति की अवधि 15.06.04 है। एकरारित कार्य की रोकड़ मापी 12.03.05 तक ली गई। कार्य समाप्ति की तिथि 15.06.04 के पश्चात किये गये कार्य के भुगतान के विरूद्ध संविदा शर्त्तें प्रतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं किये जाने के लिए श्री जायसवाल को दोषी माना गया।"

3. श्री जायसवाल द्वारा अपने लिखित बचाव बयान में इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 15.06.04 तक कार्य समाप्त नहीं होने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति ली गई थी जिसके कारण विपत्र के समय वृद्धि के लिए राशि की कटौती नहीं की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि श्री जायसवाल द्वारा अपने कथन के समर्थन में समय वृद्धि संबंधी आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गयी। अतः समय वृद्धि संबंधी स्वीकृत्यादेश अप्राप्त रहने की पृष्ठभूमि में श्री जायसवाल के विरूद्ध आरोप संख्या–2 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त मंतव्य पर तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। तकनीकी समिति से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा की विभागीय समीक्षा में श्री जायसवाल के दिनांक 31.01.15 को सेवानिवृत होने की स्थिति में सरकार के निर्णयानुसार श्री जायसवाल के विरूद्ध निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) इनके वेतन से दो वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि की कटौती की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

सकारण मुखर आदेश

14 नवम्बर 2014

सं0 निग/सारा–2(आरोप)–उ०वि०(ग्रा०)39/07–10845 (एस)–श्री हरि किशोर सिन्हा सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता को एन0आर0ई0पी0, सहरसा के पद पर पदस्थापन अवधि में निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ `2,000.00 रिश्वत लेते गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–35/07 दर्ज किये जाने के आलोक में इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–5489 (एस) दिनांक–26.04.07 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (2)(क) के तहत निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–12404 (एस) अनु0 दिनांक 26.10.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के अधीन संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–3928 (एस) दिनांक 20.05.14 द्वारा इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का दंड संसूचित किया गया।

2. उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा पुनर्विचार याचिका दिनांक 02.07.14 विभाग में समर्पित की गयी। श्री सिन्हा के पुनर्विचार याचिका के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसी बीच श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विभागीय कार्यवाही एवं संसूचित दंड को निरस्त करने के संबंध में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–3835/2014 एवं आई0ए0सं0–5361/2014 दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.08.14 को पारित आदेश में श्री सिन्हा के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 02.07.14 को 3 माह के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया। न्यायादेश में यह भी निदेश था कि यदि पुनर्विलोकन अर्जी के निष्पादन में आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई करने का प्रावधान है तो उन्हें उचित अवसर देते हुए उनके पक्ष को सुना जाय एवं तदोपरांत इनके पुनर्विलोकन अर्जी को निष्पादित किया जाय।

3. तदआलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.10.14 को श्री सिन्हा की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान श्री सिन्हा ने पुनर्विचार आवेदन में अंकित तथ्यों की सम्पुष्टि करते हुए कहा कि विषयगत मामले में संचालन पदाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 की अनदेखी करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन में एकपक्षीय अभिमत अंकित किया है जो कानूनन विचारणीय नहीं है। इन्होंने विभागीय कार्यवाही के संचालन में साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण नहीं कराने एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

4. श्री सिन्हा द्वारा सुनवाई के दौरान एवं पुनर्विलोकन अर्जी में अंकित तथ्यों के समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किये गये बचाव वयान के सारे तथ्यों की विभागीय कार्यवाही के संचालन में समीक्षा की गयी तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये पूरक अभिमत में श्री सिन्हा को `2,000.00 रिश्वत लेने के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। इस मामले में बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें आरोप की प्रकृति को गंभीर मानते हुए विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्तावित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। श्री सिन्हा से विहित प्रक्रिया अनुसार द्वितीय कारण पृच्छा की भी मांग की गयी एवं इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत हीं इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का दंड संसूचित किया गया।

5. अतएव श्री सिन्हा के पुनर्विचार आवेदन दिनांक 02.07.14 को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश से,
अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–1 (NH)–47/2014–11965 (एस)—श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लक्खीसराय एट मुंगेर द्वारा गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, औरंगाबाद के पदस्थापन काल के दौरान एन0एच0–98 के जसोईया मोड़ से दाउदनगर पथ में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा की गयी तथा पत्रांक–299 अनु0 दिनांक 22.12.10 द्वारा समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–136 अनु0 दिनांक–28.06.11 द्वारा समर्पित गुणवत्ता प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के 126 वें कि0मी0 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD प्रावधानित 2.30gm/cc के विरूद्ध 1.95gm/cc पाया गया। पथ के 126 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 21.23 प्रतिशत ओभर साईज पाया गया। BUSG कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 1.73 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है। पथ के 106 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 13.73 प्रतिशत ओभर साईज एवं 7.93 प्रतिशत अंडर साईज पाया गया है।

2. उपर्युक्त पायी गयी अनियमितता के लिए श्री यादव से विभागीय पत्रांक–4480 (ई) अनु0 दिनांक 25.08.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री यादव के पत्रांक–10 अनु0 दिनांक–10.10.11 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा SDBC कार्य का औसत FDD प्रावधान से कम पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल की संबद्धता कार्य के क्रियान्वयन से नहीं होती है जबकि SDBC के क्रियान्वयन से संबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य में इस आरोप का इनके संदर्भ में कोई आधार/औचित्य नहीं होने का उल्लेख किया गया है। BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओभर साईज पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि Indian Roads congress द्वारा प्रकाशित Ministry of shipping, Road Transport and Highways के specifications for Road and Bridge Works (Fourth Revision) के Table 500-7 Grading requirements for coarse and key Aggregates for Built up spray grout का उल्लेख किया गया है। इस Table में coarse Aggregates तथा key Aggregates का Grading requirements बिल्कुल

अलग–अलग दिया गया है। परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना द्वारा इस मिश्रित नमूनें का coarse Aggregates के रूप में Grading कर जाँचफल प्रस्तुत किया गया है जो तकनीकी रूप से गलत है। BUSG कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधान से कम पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि अलकतरा की मात्रा में इतना बड़ा अन्तराल कार्य के क्रियान्वयन से संबद्ध है जबकि गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल की संबद्धता कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से नहीं होती है। इस तरह से यह आरोप के संदर्भ में कोई आधार/औचित्य नहीं है। पथ के 106 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 13.73 प्रतिशत ओभर साईज एवं 7.93 प्रतिशत अन्डर साईज पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यह आरोप BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओभर साईज पाये जाने के सामान्य ही उल्लिखित किया गया है जिसकी पुनरावृति की आवश्यकता नहीं है।

4. श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि (a) पथ के कि0मी0 126 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD 1.95gm/cc पाया गया है जबकि प्रावधान 2.30gm/cc का है जो क्षेत्रीय पदाधिकारियों से संबंधित है जबकि (b) पथ के कि0मी0 126 वें में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 12.13 प्रतिशत ओभर साईज पाया गया है जो प्रयोगशाला से संबंधित होने के कारण श्री यादव, तदेन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण से संबंधित है। स्पष्ट है कि BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट के गेडिंग में पाई गई भिन्नता विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स 7.50 प्रतिशत से अधिक है। इस कारण इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण मान्य नहीं पाते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णय के आलोक में श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, सहायक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) चेतावनी का दंड दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

10 नवम्बर 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ)–73/03–10614 (एस)–श्री मृत्यंजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत संकल्प ज्ञापांक–3918 (एस) अनु0 दिनांक 07.06.02 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को अपूर्ण एवं अस्वीकार योग्य मानते हुए संकल्प ज्ञापांक–10578 (एस) अनु0 दिनांक 24.09.09 द्वारा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के संचालन में पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1362 (ई) अनु0 दिनांक 12.04.10 में श्री राय के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री राय से विभागीय पत्रांक–7038 (एस) अनु0 दिनांक 13.05.10 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री राय ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 20.05.10 एवं दिनांक 05.01.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया। श्री राय के पत्रांक–शून्य दिनांक 20.05.10 एवं दिनांक 05.01.13 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा के समीक्षोपरांत इसे असंतोषजनक पाते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार (माननीय मुख्यमंत्री महोदय) का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. तदआलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती करने के सरकार के अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर नियमानुसार विभागीय पत्रांक–5180 (एस) अनु0 दिनांक 20.06.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–1324 दिनांक 03.09.14 द्वारा अनुमोदित दंड प्रस्ताव से असहमति वयक्त की गयी।

5. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श से असहमति जताते हुए सरकार के निर्णयानुसार श्री मृत्यंजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती करने का आदेश दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

14 नवम्बर 2014

सं0 निग/सारा–5 (ग्रा0)–2003/2002–10861 (एस)–स्व० ओबैदुर रहमान मल्लिक, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के पदस्थापन काल में प्रमंडलीय स्तर पर अनाधिकृत रूप से बिटुमेन का क्रयादेश निर्गत करने, रेल मार्ग की जगह पथ मार्ग से प्रमंडलीय भंडार तक उक्त सामग्री की ढुलाई हेतु एक संवेदक की नियुक्ति करने एवं कनीय अभियंता अथवा सहायक अभियंता की जगह प्रमंडलीय रोकड़पाल को अलकतरा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने के आरोपों के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2262 (एस) दिनांक 03.04.01 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–127 दिनांक 06.07.05 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपित के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया तत्पश्चात् जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–8254 (एस) दिनांक 03.11.05 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई तथा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत इनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया। श्री मल्लिक के पेंशन से 10 प्रतिशत कटौती के अनुमोदित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श/सहमति की मांग पत्रांक–4867 (एस) अनु0 दिनांक 12.05.06 द्वारा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–1906 दिनांक 04.01.07 द्वारा विभागीय प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। तदआलोक में श्री मल्लिक को विभागीय अधिसूचना संख्या–792 (एस) दिनांक 19.01.07 द्वारा पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती की गई।

2. श्री मल्लिक ने उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–630/10 दायर किया, जिसमें दिनांक–02.09.2011 को पारित आदेश के द्वारा माननीय न्यायालय ने संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के सही रूप में संचालन नहीं करने को परिभाषित करते हुए दिये गये दंड अधिसूचना को निरस्त करते हुए मामले को पुनः संचालन पदाधिकारी को ही remand करते हुए नये सिरे से आदेश प्राप्ति के 3 माह के अंदर आवेदक श्री मल्लिक के सहयोग करने के शर्त पर पूरा कर निर्णय लेने का निदेश दिया गया । विभागीय अधिसूचना संख्या–7267 (एस) दिनांक 18.04.12 द्वारा श्री मल्लिक के विरूद्ध संसूचित दंडादेश अधिसूचना संख्या–792 (एस) दिनांक 19.01.2007 को निरस्त करते हुए श्री मल्लिक के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2262 (एस) दिनांक 03.04.01 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. इस बीच श्री मल्लिक की मृत्यु दि 06.08.12 को हो जाने की सूचना विभाग को प्राप्त हुआ। तदआलोक में स्व0 औबेदूर रहमान मल्लिक, भूतपूर्व कार्यपालक अभियंता, मो0–कटरा, सुलतानगंज, पो0–महेन्द्रु जिला–पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

14 नवम्बर 2014

सं० निग/सारा–उ0बि0रा0उ0प0–26/14–10865 (एस)–राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–85 में बरती गयी अनियमितता की कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3 द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा से विभागीय पत्रांक–14008 (एस) अनु0 दिनांक 23.09.10 एवं पत्रांक–3250 (ई) अनु0 दिनांक 24.06.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री गुप्ता, कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–शून्य दिनांक 13.10.10 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक 04.07.11 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–85 के कि0मी0 12 में कराये गये बी0एम0 कार्य एवं कि0मी0 20 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 कार्य की औसत मोटाई निर्धारित मोटाई से कम है तथा कि0मी0 20 में कराये गये बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य में अलकतरा की प्रतिशत मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से कम है।

3. अतएव सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित पाये गये उक्त त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–7991 (एस) दिनांक 21.08.14 द्वारा श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया।

4. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री गुप्ता के पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक 08.09.14 द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन तथा पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक 18.09.14 द्वारा समर्पित पूरक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री गुप्ता ने इसके पूर्व समर्पित अपने कारण पृच्छा उत्तर में उन्हीं बातों का उल्लेख किया था, जो उनके पुनर्विलोकन अर्जी में अंकित है। पूर्व में दिये गये उनके कारण पृच्छा उत्तर की तकनीकी समीक्षा में श्री गुप्ता को प्रमाणित पाये गये अनियमितताओं

के लिए दोषी पाये जाने के उपरांत इनके विरूद्ध दंड संसूचित किया गया था। इनके पुनर्विलोकन अर्जी में उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की गयी है जिसका उल्लेख पूर्व में इन्होंने अपने कारण पृच्छा उत्तर में किया था। इनके पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य नहीं है जिसके आधार पर संसूचित दंड पर पुनर्विचारण की आवश्यकता हो।

5. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक 08.09.14 एवं पूरक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक 18.09.14 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

12 दिसम्बर 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–131/13–12036(एस)–श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (कार्य)–सह–प्रभारी गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत रसूलपुर–चैनपुर पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–4866 (ई) अनु0 दिनांक 13.09.11 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य दिनांक 19.09.11 के विभागीय समीक्षोपरांत बी0यू0एस0जी0 कार्य की औसत मुटाई में 6 एम0एम0 की कमी पाये जाने एवं एग्रीगेट के औसत ग्रेडिंग में 8.16 प्रतिशत का विचलन पाये जाने के लिए श्री कुमार को अधिसूचना संख्या–1121 (एस) दिनांक 11.02.14 द्वारा निम्न दंड संसूचित संसूचित किया गया :–

(i) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (कार्य)–सह–प्रभारी गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–शून्य दिनांक 08.08.14 द्वारा उक्त दंड के विरूद्ध अपना पुनरीक्षण अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें मूल रूप से अंकित किया गया कि दंड संसूचन के पूर्व उनके पक्ष को नहीं सुना गया और नैसर्गिक न्याय की अनदेखी करते हुए एकतरफा दंड निर्गत किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनरीक्षण आवेदन को विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–25 के तहत विहित समय सीमा (45 दिन निर्धारित) के अन्दर समर्पित नहीं किये जाने के आलोक में श्री कुमार के पुनरीक्षण आवेदन पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक–08.08.14 को विभागीय अधिसूचना संख्या–9094 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–9095 (एस) दिनांक 19.09.14 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा उक्त अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 22.09.14 द्वारा उक्त दंड आदेश के पुनरीक्षण कर निरस्त करने हेतु पुनः आवेदन समर्पित किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री कुमार ने निम्न तथ्यों को अंकित किया है :–

(i) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की सूचना दिये वगैर हीं 4 वर्षों के पश्चात दंड संसूचित किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

(ii) परिवाद पत्र की प्रति न तो उन्हें उपलब्ध करायी गयी और न ही कार्मिक विभाग के परिपत्र के आलोक में परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में शपथ पत्र की मांग की गयी।

(iii) कार्य का जाँच कार्य पूर्ण होने के लगभग 4 वर्षों के बाद किया गया है जो इण्डियन रोड कॉंग्रेस के गाईड लाइन्स के आलोक में सही नहीं है।

(iv) जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच में उनकी उपस्थित सुनिश्चित नहीं की गयी तथा दंड अधिरोपित करने के पूर्व प्रारंभिक जाँच पदाधिकारी के मंतव्य को विचार में नहीं लिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

4. श्री कुमार से प्राप्त पुनरीक्षित आवेदन में कोई नया तथ्य नहीं है जिसके आधार पर पूर्व संसूचित दंड में किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा में पायी गयी त्रुटियों के लिए पुनरीक्षित मान्य दंड के अनुसार उन्हें दंड संसूचित किया गया तथा दंड संसूचन के पूर्व अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने जो तथ्य रखा था उस पर सम्यक् विचारण भी किया गया।

5. अतएव श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (कार्य)–सह–प्रभारी गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना के पुनरीक्षण अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक 22.09.14 को सरकार के निर्णयानुसार अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

11 दिसम्बर 2014

सं० निग/सारा–उ0बि0ग्रा0का0वि0–46/14–11963 (एस)–श्री राजेन्द्र पासवान, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल–2, दरभंगा के विरूद्ध शीर्ष–4515 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2002–03 से 2007–08 तक उपलब्ध करायी गयी राशि के विरूद्ध कार्य समाप्ति के बाद खर्च का व्योरा अपने स्तर से समर्पित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने जिसके कारण महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं किया जा सका जैसी बरती गयी अनियिमतता के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–8704 दिनांक 05.08.10 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. उक्त स्पष्टीकरण का उत्तर इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार इनके द्वारा जान–बूझकर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता बरती गयी जिसे बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम के विरूद्ध पाते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या–11964–सहपठित ज्ञापांक–11965 दिनांक 11.11.10 द्वारा इनके विरूद्ध आरोप वर्ष (2010–11) के लिए "निन्दन" की सजा संसूचित की गयी।

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय उच्च न्यालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–11825/2011 में दिनांक 16.08.11 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या–11964–सहपठित ज्ञापांक–11965 दिनांक 11.11.10 को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

14 नवम्बर 2014

सं0 निग/सारा–06 (आरोप) द0वि0(ग्रा0)–27/07–10867 (एस)–श्री राम प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवा निवृत मुख्य अभियंता के विरूद्ध ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा के पदस्थापन काल के दौरान लखौरा से रसलपुर (बिजुबिगहा) पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के संबंध में मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–13180 (एस) दिनांक 16.10.08 द्वारा इनसे बचाव बयान की मांग की गई।

2. श्री प्रसाद के पत्रांक–553 दिनांक 30.12.08 द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षापरांत उक्त पथ कार्य में निष्फल व्यय की कुल राशि ` 4,86,880 में से ` 48,688 के लिए श्री प्रसाद को दोषी पाया गया तथा दिनांक 31.03.10 को इनकी सेवा निवृति के परिप्रेक्ष्य में उक्त राशि की वसूली के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3921 (एस) दिनांक 01.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. श्री प्रसाद के पेंशन कटौती के विरूद्ध पत्रांक–शून्य दिनांक 05.08.14 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिया गया जिसमें पेंशन से `48,688.00 की कटौती से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या–4294 (एस) दिनांक 18.04.12 को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। श्री प्रसाद ने अपने पुनर्विचार आवेदन में अंकित किया है कि पूर्व में इनके विरूद्ध जो विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी उसे स्वयं सरकार द्वारा नियम के विरूद्ध मानते हुए विभागीय कार्यवाही को बंद कर दिया गया था। उसके पश्चात बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत कारण पृच्छा कर पेंशन से कटौती का जो निर्णय लिया गया है वह नियम विरूद्ध हैं इन्होंने अपने आवेदन की अंतिम कंडिका में उद्धृत किया गया है कि जिस दिन कारण पृच्छा की गयी उसी दिन वसूली आदेश भी निर्गत किया गया जो पूर्णतः गलत है।

4. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदन दिनांक 05.08.14 में उनका कहना कि आरोप कि जिस दिन कारण पृच्छा की गयी उसी दिन पेंशन से `48,688.00 की कटौती का आदेश निर्गत किया गया है पूर्णतया गलत है।

5. श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–13222 (एस) दिनांक 01.12.11 द्वारा कारण पृच्छा की गयी । कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 19.12.11 को प्राप्त हुआ जिसके समीक्षोपरांत इनके कारण पृच्छा उत्तर को असंतोषकजनक मानते हुए इनके पेंशन से `48,688.00 की कटौती का निर्णय लिया गया ।

6. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री राम प्रासद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता के पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य (अनु0) दिनांक 05.08.14 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–1 (NH)–47/2014–11961 (एस)–श्री रवि प्रकाश लोकेश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नवसृजित पथ प्रमंडल, शिवहर द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद के पदस्थापन काल के दौरान एन0एच0–98 के जसोईया मोड़ से दाउदनगर पथ में कराये गये कार्य की

जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा की गयी तथा पत्रांक–299 अनु0 दिनांक 22.12.10 द्वारा समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–136 अनु0 दिनांक 28.06.11 द्वारा समर्पित गुणवत्ता प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के 126 वें कि0मी0 में कराये गये SDBC कार्य का औसत FDD प्रावधानित 2.30gm/cc के विरूद्ध 1.95gm/cc पाया गया। पथ के 126 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 21.23 प्रतिशत ओभर साईज पाया गया। BUSG कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 1.73 प्रतिशत पायी गयी जबकि प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है। पथ के 106 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 13.73 प्रतिशत ओभर साईज एवं 7.93 प्रतिशत अंडर साईज पाया गया है।

2. उपर्युक्त पायी गयी अनियमितता के लिए श्री लोकेश से विभागीय पत्रांक–4475 (ई) अनु0 दिनांक 28.08.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री लोकेश के पत्रांक–1261 दिनांक 14.09.11 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा SDBC कार्य का औसत FDD प्रावधान से कम पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि एकरारनामा में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि Field Density क्या होना चाहिए तथा कार्य के दौरान मना करने पर भी नये सतह पर गाड़ियों के आवागमन के कारण FDD का औसत कम हो गया। BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओभर साईज पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्य सम्पादन के बाद जबकि उक्त एग्रीगेट मिक्स पर चपाई के कार्य कराये जाते हैं तो एग्रीगेट के ग्रेडिंग में परिवर्तन होना स्वभाविक है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्य कराने हेतु खदान निर्धारित है जहाँ से एग्रीगेट प्राप्त कर कार्य कराये जाते हैं। किसी खदान के उपलब्ध पत्थर के physical properties उक्त खदान के पत्थर पर निर्भर करता है। अतः यह आरोप तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। BUSG कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधान से कम पाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि BUSG के कार्य में अलकतरा से मिक्स नहीं बनाया जाता है बल्कि अलकतरा का छिड़काव किया जाता है। किसी भी मिक्स से अलकतरा की मात्रा निकालने का प्रावधान है, परन्तु छिड़काव किये गये एग्रीगेट पर प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा निकालने की विधि तकनीकी दृष्टिकोण से संभव भी नहीं है। विभागीय पत्रांक–340 दिनांक 07.01.10 को उदृत करते हुए अंकित किया गया है कि उक्त कार्य में निर्मित हॉट मिक्स प्लांट से बी0एम0 मिक्स गिरने के तुरन्त बाद जाँच नहीं किया गया। अतः बाद में कराये गये जाँच के आधार पर किसी ठोस नतीजे पर पहुँचना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह त्रुटि भी तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। पथ के 106 वें कि0मी0 में कराये गये BUSG (in pot repair) कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 13.73 प्रतिशत ओभर साईज एवं 7.93 प्रतिशत अन्डर साईज पाये जाने के संबंध में प्रथम आरोप के समान हीं स्पष्टीकरण दिया गया है।

4. श्री लोकेश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि SDBC कार्य का औसत FDD 2.16gm/cc तक पाये जाने पर टोलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मामले में SDBC कार्य का औसत FDD 1.95gm/cc है जो उक्त निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम है। इस कारण इस बिन्दु पर प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। BUSG कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट के ग्रेडिंग में भिन्नता 7.50 प्रतिशत तक पाये जाने पर टोलरेन्स के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मामले में पायी गयी भिन्नता 12.13 प्रतिशत है जो उक्त निर्धारित टोलरेन्स से अधिक है। इस कारण इस बिन्दु पर प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री लोकेश से प्राप्त स्पष्टीकरण मान्य नहीं पाते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णय के आलोक में श्री रवि प्रकाश लोकेश, कार्यपालक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–72/2013–11948 (एस)–श्री सदानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना के विरूद्ध पथ प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में किशनगंज–बहादुरगंज पथ में दिनांक 10.07.13 को अप्रत्याशित बाढ़ से हुए कटाव के कारण अवरूद्ध यातायात को चालू करवाने में हुई चूक के लिए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–849 दिनांक 11.07.13 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–5531 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–5532 (एस) दिनांक 11.07.13 के द्वारा निलंबित करते हुए श्री चौधरी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6478 (एस) अनु0 दिनांक 12.08.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचलित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1147 अनु0 दिनांक 09.07.14 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया, परन्तु विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, किशनगंज के

पत्र से यह तो स्पष्ट है कि श्री चौधरी, कार्यपालक अभियंता कटाव स्थल पर नहीं पाये गये और कटाव से बचाव के लिए भी ठोस प्रयास नहीं किये।

2. तदआलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री सदानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना को अधिसूचना संख्या–8274 (एस) दिनांक 29.08.14 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त करते हुए "चेतावनी" का दंड दिया गया।

3. श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक–8890 (एस) दिनांक 15.09.14 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 22.09.14 द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर में संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने एवं चेतावनी के दंड को शास्ति नहीं मानने का उल्लेख करते हुए अपने कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार कर निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कार्य अवधि स्वीकार करने एवं उक्त अवधि के अंतर राशि के भुगतान का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

4. श्री चौधरी से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर के विभागीय समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता है :–

(i) इन्हें दिये गये चेतावनी की प्रविष्टि उनके चारित्री पुस्त में की जाय।

(ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर कुछ भी देय नहीं होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ)–43/03–11946 (एस)–श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल वैशाली सम्प्रति कार्यापालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल–2, औरंगाबाद के विरूद्ध पथ प्रमंडल, वैशाली के पदस्थापन काल में महात्मा गांधी सेतु के उत्तरी छोर पर पथ कर संग्रह में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–3586 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–3587 (एस) दिनांक 29.05.98 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3940 (एस) अनु0 दिनांक 06.06.98 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री पासवान को अधिसूचना संख्या–8761 (एस) दिनांक 13.10.03 द्वारा विभागीय कार्यवाही जारी रखते हुए निलंबन मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1022, दिनांक 04.10.2001 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत दंड पर लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त सभी कागजातों को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–11198 (एस) अनु0 दिनांक 30.12.03 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श/सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय प्रस्ताव से सहमति अपने पत्रांक–1620 दिनांक 27.10.04 द्वारा दी गयी जिसके उपरांत अधिसूचना संख्या–5404 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–5405 (एस)दिनांक–25.05.06 द्वारा श्री पासवान को निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(I) श्री सत्यनारायण पासवान को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर पदावनत किया जाता है।

(II) इनके निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(III) इनके द्वारा गबन की गई राशि ` 6,40,099/– का 50 प्रतिशत राशि अर्थात ` 3,20,050/–की वसूली इनके वेतन एवं अन्य भुगतेय राशि से की जायेगी।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को विभागीय अधिसूचना संख्या–11302(एस) दिनांक 26.09.06 द्वारा अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात निर्गत दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या–15965/06 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.07.07 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध निर्गत दंडादेश को निरस्त करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा सूचना निर्गम स्तर से पुनः कार्रवाई आरंभ करने हेतु इस मामले को प्राधिकार को वापस किया गया। तदआलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–14592 दिनांक–14.12.07 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध निर्गत दंडादेश को निरस्त करते हुए श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा कर उनसे उत्तर प्राप्त होने के उपरांत दंड के बिन्दु पर पुनः निर्णय लिया जायेगा का आदेश निर्गत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री पासवान से पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट रूप में असहमति के बिन्दु पर असहमति के कारणों को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक–14589 (एस) अनु0 दिनांक 14.12.07 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री पासवान के पत्रांक–शून्य दिनांक 12.06.09 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को समीक्षोपरांत इसे असंतोषजनक पाते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पासवान को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के निम्नतम प्रक्रम पर पदावनत करने, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं करने परन्तु अन्य प्रयोजन हेतु इसे कर्तव्य पर बिताई गयी अवधि माने जाने एवं गबन की गयी वास्तविक राशि ` 1,98,871/– (एक लाख अठानवे हजार आठ सौ

एकहत्तर रुपये) की वसूली इनके वेतन एवं अन्य भुगतेय राशि से करने के दंड प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–7304 (एस) अनु0 दिनांक 18.05.10 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

3. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2238 दिनांक 02.12.10 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड में आरोपित पदाधिकारी को पदावनत करने के दंड में आरोपित पदाधिकारी को पदावनत करने के दंड को अधिक पाते हुए इस पर असहमति व्यक्त की गयी, जबकि शेष दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पुनः समीक्षोपरांत यह स्थापित पाया गया कि श्री पासवान के द्वारा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के अतिरिक्त ` 1,98,871/– (एक लाख अठानवे हजार आठ सौ एकहत्तर रूपये) का गवन/अनियमितता की गयी जो एक घोर वित्तीय अनियमितता है इस दृष्टिकोण से विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड युक्ति–युक्त एवं समानुपातिक पाते हुए, एवं आयोग के सलाह को बाध्यकारी नहीं मानते हुए पुनः सरकार के अनुमोदनोपरांत श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल वैशाली सम्प्रति कार्यापालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल–2, औरंगाबाद को अधिसूचना संख्या–5057 (एस) –सह–पठित ज्ञापांक–5058 (एस) दिनांक 02.05.11 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(I) कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के निम्नतम प्रक्रम पर पदावनत।

(II) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान, परन्तु, अन्य प्रयोजन हेतु इसे कर्तव्य पर बिताई गयी अवधि मानी जायेगी।

(III) गबन की गयी वास्तविक राशि ` 1,98,871/– (एक लाख अठानवे हजार आठ सौएकहत्तर रुपये) इनके वेतन एवं अन्य भुगतेय राशि से वसूली।

5. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या–10423/2011 दायर की गयी। माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.04.12 को पारित अंतरिम आदेश में कहा कि इस प्रकरण में सरकार को हुई वित्तीय क्षति की राशि का निर्धारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा पा रहा है कि वास्तविक क्षति की राशि कितनी है। इस हेतु विभागीय अभिलेख के साथ उप सचिव (निगरानी) को दिनांक 10.04.12 को न्यायालय में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। दिनांक 10.04.12 को माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर विभाग द्वारा सूचना दी गयी कि श्री पासवान द्वारा इस बीच वृहद दंड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक 02.02.12 को समर्पित किया है, जो समीक्षाधीन है। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय ने अपने पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.04.12 में दो सप्ताह का समय देते हुए यह अपेक्षा की गयी कि इस अवधि में श्री पासवान के अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा समुचित निर्णय ले लिया जाए।

6. माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.04.12 एवं श्री पासवान से प्राप्त अपील अभ्यावेदन दिनांक 02.02.12 के आलोक में संचिका के पुनर्विलोकन एवं अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर से प्राप्त कागजातों के अवलोकनोपंरात पाया गया कि विषयांकित मामले में गबन की वास्तविक राशि ` 1,94,871/– है जिसकी वसूली अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–628 दिनांक 01.06.09 द्वारा श्री कृष्णादास, लेखा लिपिक से करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस तरह श्री पासवान के विरूद्ध राशि वसूली का मामला नहीं बनता है।

7. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–10423/11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2012 को पारित आदेश में निर्गत दंडादेश की कंडिका–1 एवं 3 को निरस्त करते हुए संपुर्ण माामले को पुर्नविचार हेतु विभाग को निदेशित किया गया, तद्आलोक में श्री पासवान द्वारा दिनांक 01.06.2012 को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सभी आरोपो से मुक्त करते हुए निलम्बन अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

8. इसी बीच दिनांक 01.12.2012 को श्री पासवान का निधन हो जाने के कारण इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार स्व0 सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, वैशाली के विरूद्ध निर्गत दंडादेश अधिसूचना सं0–6116 (एस) दिनांक 01.06.2012 में अंकित अधिसूचना सं0–5057 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक–5058 (एस) दिनांक 02.05.2011 की कंडिका–4 (i) एवं (ii) को यथावत रखने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

31 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–12949 (एस)–निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री शैलेश मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3056 (एस) दिनांक 16.04.13 द्वारा श्री मिश्र से कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त कारण पृच्छा पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री शैलेश मिश्र को कार्यपालक अभियंता, पटना नगर

निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या–4392 (एस) दिनांक 04.06.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4949 (एस) दिनांक 20.06.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–11802 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–11803 दिनांक 08.12.14 द्वारा श्री शैलेश मिश्र, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10(1)(i) के तहत उनके जीवन निर्वाह भत्ता में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय संसूचित है, में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री शैलेश मिश्र, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में सरकार के निर्णयानुसार 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

---

11 दिसम्बर 2014

सं0 निग / सारा–4 (पथ) आरोप–72 / 2013–11950 (एस)–श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध पथ प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में किशनगंज–बहादुरगंज पथ में दिनांक 10.07.13 को अप्रत्याशित बाढ़ से हुए कटाव के कारण अवरूद्ध यातायात को चालू करवाने में हुई चूक के लिए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–849 दिनांक 11.07.13 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–5529 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–5530 (एस) दिनांक–11.07.13 के द्वारा निलंबित करते हुए श्री हर्ष को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6477 (एस) अनु0 दिनांक 12.08.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचलित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1148 अनु0 दिनांक 09.07.14 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री हर्ष के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया, परन्तु विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्र से यह तो स्पष्ट है कि श्री हर्ष, सहायक अभियंता कटाव स्थल पर नहीं पाये गये और कटाव से बचाव के लिए भी ठोस प्रयास नहीं किये।

2. तदआलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना संख्या–8276 (एस) दिनांक 29.08.14 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त करते हुए "चेतावनी" का दंड दिया गया।

3. श्री हर्ष से विभागीय पत्रांक–8900 (एस) दिनांक 15.09.14 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में कारण पृच्छा की गयी। श्री हर्ष द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 22.09.14 द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर में संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने एवं चेतावनी के दंड को शास्ति नहीं मानने का उल्लेख करते हुए अपने कारण पृच्छा उत्तर को स्वीकार कर निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कार्य अवधि स्वीकार करने एवं उक्त अवधि के अंतर राशि के भुगतान का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

4. श्री हर्ष से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर के विभागीय समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता है :–

(i) इन्हें दिये गये चेतावनी की प्रविष्टि उनके चारित्री पुस्त में की जाय।

(ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर कुछ भी देय नहीं होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव निगरानी ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in